आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–आपूर्ति अपील वाद सं० 07/2013 प्रवीण कुमार

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
30.5.17	**आदेश** दिनांक 27.09.2012 की संध्या में असमाजिक तत्वों द्वारा अगजनी की घटना कारित किये जाने के फलस्वरूप जिला विधि शाखा में संधारित समाहर्त्ता न्यायालय का अभिलेख जलकर नष्ट हो जाने के कारण संबंधित पक्षकारों से अभिलेख सृजन हेतु आम सूचना पत्रांक 126/विधि, दिनांक 26.11.2012 के आलोक में अधिवक्ता के माध्यम् से श्री प्रवीण कुमार ग्राम–पंचायत जलकौड़ा, प्रखंड खगड़िया द्वारा पूरक अपील दाखिल किया गया। प्रस्तुत आपूर्त्ति अपील वाद सं0 07/2013 प्रवीण कुमार, ग्राम पंचायत जलकौड़ा, प्रखंड खगड़िया, जिला–खगड़िया ने अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 151 दिनांक 28.03.2009 से विछुब्ध होकर दाखिल किया है। दाखिल अपील में कहा गया है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया एवं कार्यपालक दंडाधिकारी, खगड़िया से संयुक्त रूप से जांच करायी गयी तथा अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण किया गया जिसका जबाव उन्हें दिया गया तथा उनके जवाब पर सम्यक विचार नहीं की गयी तथा उनके जन वितरण प्रणाली बिक्रेता के अनुज्ञप्ति संख्या 41 के/2007 को दिनांक 28.03.09 को रद्द कर दिया गया जो बिल्कूल न्याय संगत नहीं है। उन्होंने अपने अपील आवेदन में कहा है कि उनके वितरण पंजी एवं अन्य कागजात को बिना देखे, जांच किए आदेश पारित किया गया जो विधि संगत नहीं है। उन्होंने अपील को स्वीकार कर अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 28.03.09 को पारित आदेश को रद्द करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को आवंटन चालू करने का निदेश देने का अनुरोध किया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अपना–अपना तर्क प्रस्तुत किए। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए अनमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के द्वारा ज्ञापांक 151/अनु0आ0, दिनांक 28.03.2009 से पारित आदेश को रद्द करते हुए अनुज्ञप्ति संख्या 41 के/2007 को पुनः बहाल करने का अनुरोध किया गया। सरकारी अधिवक्ता ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश सम्यक तथा सही है तथा इस अपील वाद को खारिज करने की प्रार्थना की गयी। दोनों पक्षों को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया।	

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि :–

जन वितरण प्रणाली के बिक्रेता प्रवीण कुमार के विरूद्ध ग्राम पंचायत जलकौड़ा, प्रखंड–खगड़िया के उपभोक्ताओं द्वारा किरासन तेल एवं खाद्यान्न ज0वि0प्र0 बिक्रेता द्वारा नहीं वितरण करने की शिकायत के आलोक में प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, खगड़िया एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी, खगड़िया द्वारा संयुक्त रूप से स्थलीय जॉच की गयी। जॉच प्रतिवेदन के आलोक में ज्ञापांक 494/अनु0आ0, दिनांक 25.09.2008 के द्वारा श्री प्रवीण कुमार ज0वि0प्र0 बिक्रेता ग्राम पंचायत जलकौड़ा, प्रखंड खगड़िया के अनुज्ञप्ति संख्या 41 के/2007 को निलंबित कर दिया गया। पुनः उपभोक्ताओं के शिकायत पत्र के आलोक में प्रभारी सहायक जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा स्थलीय जॉच की गयी । उक्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में ज्ञापांक 72/अनु0आ0, दिनांक 17.02.2009 के द्वारा प्रवीण कुमार ज0वि0प्र0 बिक्रेता जलकोड़ा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। बिक्रेता से स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ। प्राप्त स्पष्टीकरण पर ज्ञापांक 109 अनु0आ0, दिनांक 07.03.2009 से प्रखंड आपूर्त्ति, खगड़िया से मंतव्य की मांग की गयी। प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 85 दिनांक 27.03.2009 से मंतव्य प्राप्त हुआ। मंतव्य से पता चलता है कि प्रवीण कुमार ज0वि0प्र0बिक्रेता जलकौड़ा द्वारा माह जून, 08 एवं जुलाई, 08 में किरासन तेल का वितरण उपभोक्ताओं के बीच नहीं किया गया। उक्त मंतव्य के आलोक में प्रवीण कुमार ज0वि0प्र0 बिक्रेता द्वारा बरती गयी अनियमितता के लिए अनुज्ञप्ति सं0 41 के/2007 को अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 151/अनु0आ0 दिनांक 28.03. 2009 से तत्कालीक प्रभाव से रद्द किया गया।

उपरोक्त तथ्यों तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ज़न वितरण प्रणाली बिक्रेता प्रवीण कुमार ग्राम पंचायत जलकोड़ा, प्रखंड खगड़िया द्वारा माह जून, 08 एवं जुलाई, 08 में किरासन तेल का वितरण उपभोक्ताओं के बीच नहीं किया गया, जो अनुज्ञप्ति की शर्त्तो का घोर उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 151/अनु0आ0, दिनांक 28.03.09 को यथावत रखा जाता है तथा अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, खगड़िया

समाहर्त्ता, खगड़िया